

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक १-१३५ / 2018 / 20-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/03/2018

1. कलेक्टर,

समस्त जिले मध्यप्रदेश - (बड़वानी, मण्डला, झाबुआ अलीराजपुर,  
डिण्डौर, एवं अनूपपुर को छोड़कर)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले मध्यप्रदेश - (बड़वानी,  
मण्डला, झाबुआ अलीराजपुर, डिण्डौर, एवं अनूपपुर को छोड़कर)

विषय- मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम  
2018 के तहत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियुक्ति  
बाबत।

संदर्भ- 1. स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 1-59/2018/20-1 दिनांक 10.8.2018।  
2. लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र./श.क./विशेष सेल/ए/1/18/07  
दिनांक 21.08.2018।

0-


उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त अध्यापक संवर्ग  
के मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के  
तहत नियुक्ति की कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। अध्यापकों की सेवा पुस्तिका को  
अद्यतन एवं सत्यापन करने का कार्य अधिकांश जिलों के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।


2/ द्वितीय चरण में संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित की गई ई सेवा पुस्तिका के  
आधार पर विकल्प एवं स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने वाले अध्यापकों की सूची जिला  
शिक्षा अधिकारी के लॉगइन पर दिनांक 7.9.2018 से प्रदर्शित होना प्रारम्भ हो गई  
है। जिला शिक्षा अधिकारी को संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित उक्त सूची को निकाय  
वार एवं संवर्ग वार एकजोड़ किया जाकर अध्यापक संवर्ग के नियुक्तकर्ता  
अधिकारियों को सूची में अंकित अध्यापकों की नियुक्ति का सत्यापन/पुष्टि करने  
हेतु दिनांक 09.09.2018 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश हैं।

3/ भर्ती नियम 2018 के तहत नियुक्ति की पात्रता निर्धारण करने के लिए गठित  
जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हैं। उनसे  
अपेक्षा है कि वह निकायवार, संवर्गवार प्राप्त अध्यापकों की सूची का सत्यापन उनके

नियुक्तकर्ता अधिकारियों से निर्धारित समय-सीमा 12.9.2018 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उक्त सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक 14.9.2018 को अनिवार्यतः आयोजित कर निकासवार एवं सर्वशेखर भर्ती नियम 2018 के तहत नियुक्ति हेतु पात्र, अपात्र एवं लम्बित प्रकरणों की अध्यापकवार प्रावधिक सूची तैयार कर प्रकाशित करने की कार्यवाही दिनांक 15.9.2018 तक पूर्ण किया जाना है।


कृपया उक्त कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

  
(दीप्ति मोह मुकजी)  
प्रमुख सचिव  
स्कूल शिक्षा विभाग

  
(इकबाल सिंह वैस)  
अपर मुख्य सचिव  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि:-

1. रामस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

  
प्रमुख सचिव  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय म.प्र.